

23⁰⁷/15

14

वकील प्रार्थी उपस्थित / मूल प्रार्थनापत्र
इस पत्रावली से संबंधित ज-स-19/16 जनवाक
भूपेन्द्र सिंह बनाम परमप्रीत सिंह आदि प्रस्तावित
धारा 25(क) प्रस्ताव का निर्णय किया जा चुका है।
लिहाजा इस प्रकरण में कोई अन्य कार्यवाही
अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
तथा न्यायालय द्वारा अस्वार्थ निषेधता दिनांक
18.05.2016 को निरस्त किया जाता है।
पत्रावली के अंशों में सुधार होकर मूल प्रकरण
संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर